

“थाना पुवायां पुलिस द्वारा दिनांक 18.02.2025 को वादी मुकदमा को जाल में फंसाकर झूठे बलात्कार का मुकदमा लिखाने का भय दिखाकर 40 हजार की रंगदारी वसूलने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, 40 हजार रुपये बरामद”

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम में थाना पुवायां पुलिस द्वारा दिनांक 18.02.2025 को वादी मुकदमा को जाल में फंसाकर झूठे बलात्कार का मुकदमा लिखाने का भय दिखाकर 40 हजार की रंगदारी वसूलने वाले अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार, 40 हजार रुपये बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.02.2025 को वादी श्री मंगल सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी भाबी थाना बण्डा जिला शाहजहांपुर द्वारा थाना पुवायां पर तहरीर देकर अभियुक्तगण 1.सुखदेव सिंह पुत्र तारासिंह 2.रमनदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासीगण वनसई थाना पुवायां शाह0 3. गुरविन्दर सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी हिम्मतपुर थाना खुटार शाह0 द्वारा वादी की पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का झांसा देकर सुखदेव सिंह द्वारा 500 रु0 ले लेना व प्रमाण पत्र देने के बहाने वादी को कमरे में बुलाकर वादी के कपडे उतरवाकर वीडियो बना लेना तथा बलात्कार का झूठा केस लगा देने का भय दिखाकर वादी से 20,000/-रु0 कैश लेकर तथा फोन पे से 20,000/- रु0 ट्रांसफर करा लेना तथा जान से मार देंगे की धमकी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 147/2025 धारा 127(7)/308(7)/318(4)/319(2)/351(3) बीएनएस बनाम 1.सुखदेव सिंह पुत्र तारासिंह 2.रमनदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासीगण वनसई थाना पुवायां शाह0 3. गुरविन्दर सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी हिमतपुर थाना खुटार शाह0 पंजीकृत कराया गया जिसकी सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी उनके द्वारा घटना गो गम्भीरता से लेते हुए तत्काल अभियुक्तगण के गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। जिसके अनुपालन में थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर जेवा बाईपास पुल के दुसरी तरफ से अभियुक्तगण सुखदेव सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम बंसई थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर 2.रमनदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासीग बंसई थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से वादी से ऐंठे गये 40 हजार रुपये तथा तथा 09 अदद आधार कार्ड, 03 अदद पैन कार्ड, एचडीएफसी बैंक का PRITPAL SINGH के हस्ताक्षर युक्त एक ब्लैक चैक, 07 अदद एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड व सेक्स वर्धक दवाईया एक पत्ता DA SUTRA 30 X व एक पत्ता कामरोज कैप्सूल व 02 अदद सील पैक उस्ताद कंडोम व 02 अदद मोबाईल तथा एक अदद मोबाईल वीवो V29e रंग आसमानी बरामद हुआ। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुखदेव सिंह पुत्र तारासिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी बंसई थाना पुवायां जनपद शाहजहांपुर

2.रमनदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बंसई थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर

वांछित अभियुक्त:-

1. गुरविन्दर सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी हिमतपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1.मु0अ0स0 147/2025 धारा 127(7)/308(7)/318(4)/319(2)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

1. 41610/- रुपये नगद
2. 09 अदद आधार कार्ड
3. 03 अदद पैन कार्ड
4. एचडीएफसी बैंक का PRITPAL SINGH के हस्ताक्षर युक्त एक ब्लैक चेक
5. 07 अदद एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड
6. सेक्स वर्धक दवाईया DA SUTRA 30 X
7. कामरोज कैप्सूल
8. 02 अदद सील पैक उस्ताद कंडोम
9. 02 अदद मोबाईल (प्रथम वीवो Y285G रंग हल्का हरा दूसरा ऑप्पो A16)
10. एक अदद मोबाईल वीवो V29e रंग

अपराधिक इतिहास सुखदेव:-

1.मु0अ0स0 147/2025 धारा 127(7)/308(7)/318(4)/319(2)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

2.मु0अ0स0 414/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहास रमनदीप कौर पत्नी सुखदेव:-

1.मु0अ0स0 147/2025 धारा 127(7)/308(7)/318(4)/319(2)/351(3)/317(2) बीएनएस थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

2.मु0अ0स0 414/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 श्री सकतावत सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1300 विपुल मलिक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- 4.का0 2338 गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
6. म0का0 2908 पूजा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर